संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

म.प्र.

क्रमांक / अ.प्र. / 2015 / E-5/776 भोपाल, दिनांक ~~/ 06 / 2015~~ 1/6/2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्य प्रदेश।

विषयः—मध्य प्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन ऑनलाईन करने के संबंध में।

संदर्भः—1 संचालनालय का पत्र क्रमांक / अ.प्र. / 2015 / 513 दिनांक 31 / 03 / 2015

2 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुडा भवन भोपाल द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति सूचना जी—11139 / 15

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मध्य प्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत प्रदेश में निजी उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से विभाग द्वारा इसे दिनांक 31 / 3 / 2015 के उपरान्त ऑनलाईन कर दिया गया है।

राज्य कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र एवं सूचना विज्ञप्ति में आवेदन की प्रक्रिया में पंजीकरण एवं अनुज्ञापन प्रमाण—पत्र के लिए आवेदक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने का प्रावधान किया गया था।

उक्त प्रावधान में आंशिक परिवर्तन करते हुए रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (क्लिनिकल स्टेबलिशमेन्टस) के आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है। रूजोपचार स्थापनाओं के आवेदकों को स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन्ड इमेज आवश्यक दस्तावेजों के रूप में आवेदन करते समय अपलोड करना होगी। डिजिटल हस्ताक्षर की बाध्यता मात्र नर्सिंग होम पंजीयन एवं अनुज्ञापन के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए होगी।

रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं के आवेदन सूचीबद्ध दस्तावेजों में बिल्डिंग परमिशन एवं फ्लोर प्लान की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

कुछ जिलों से आवेदकों द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थानीय स्तर पर पंजीयन के समय निजी स्थापनाओं में कार्यरत चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन आदि जानकारी को अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस सबंध में यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि, ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज अपलोड करने के लिए आवेदक को बाध्य नही किया जाए एवं निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों अभिलेखों का अवलोकन / निरीक्षण किया जाये।

पंजीयन एवं अनुज्ञापन के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी। विदित है कि निज़ी उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं का पंजीकरण एवं अनुज्ञापन पंजीकरण एवं नवीनीकरण की सेवा लोकसेवा गारंटी के अन्तर्गत सम्मिलित है। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का निधारित समय—सीमा में नियमानुसार निराकरण करना सुनिश्चित करे।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक/अ.प्र./2015/ सेल– /   भोपाल, दिनांक   /   /2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3. चेयरमेन, एम.पी.ऑनलाईन लिमि.,भोपाल, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, म.प्र.।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
8. श्रीमती रिचा सोम, सलाहकार, आई.टी, एम.पी.टास्ट, म.प्र.।
9. श्री रमीज खान, बिजनेस एनालिस्ट, एम.पी.ऑनलाईन, निरूपम शॉपिंग मॉल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र.।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र,भोपाल

D:\H_A _2015\Cell-5